

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 08 मई, 2012

विषय: पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-2008/2011 में दिनांक 27.04.2012 को पारित निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संमसंख्यक शासनादेश दिनांक 28.04.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग द्वारा समस्त बिन्दुओं का परीक्षण करते हुये अलग से दिशा-निर्देश प्रेषित किये जायेंगे। यह भी उल्लेख किया गया है कि जब तक विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित न कर दिया जाय तब तक किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की पदोन्नति/पदावनति की कार्यवाही न की जाय तथा कार्मिक विभाग के निर्देश/परामर्श की प्रतीक्षा की जाय।

3- प्रश्नगत विषय के सन्दर्भ में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत सुनवाई के पश्चात दिनांक 27.04.2012 को अंतिम निर्णय/आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है: "In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7) of 1994 act and rule-BA of the 2007 rules are ultra-vires as they run counter to the dictum in M Nagraj (supra), Any promotion that has been given on the dictum of Indira Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of section-3 (7) and rule BA shall remain undisturbed"

4- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के समादर में निम्नलिखित अध्यादेश, नियमावलियाँ एवं शासनादेश प्रख्यापित/निर्गत किये गये हैं।

(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3 (7) (पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी) को हटाये जाने विषयक अध्यादेश उ0प्र0, लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 दिनांक 07 मई, 2012.

(ख) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) 'नियमावली-2012, दिनांक 08 मई 2012'.

(ग) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के पदों हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया (आठवें संशोधन) नियमावली, 2012 दिनांक 08 मई, 2012.

(घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयोन्नति पात्रता सूची (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012 दिनांक 08, मई, 2012.

(ङ) पदोन्नति में आरक्षण तथा तत्सम्बन्धी रोस्टर को निरस्त करने विषयक शासनादेश संख्या-4/1/2002/ का-2/2012, दिनांक 08 मई 2012.

(क) उपर्युक्तानुसार प्रस्तर-4(क) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के प्रख्यापन का आशय यह है कि आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा-3(7) जिसमें पदोन्नति के सम्बन्ध में आरक्षण की प्रदेयता विषयक निर्गत शासनादेशों के तब तक लागू रहने, जब तक कि उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय, की व्यवस्था थी, को सन्दर्भगत अधिनियम से निकाल दिया गया है। उक्त के परिणाम स्वरूप अब पदोन्नति के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देय नहीं है।

(ख) इसी प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्तर-4(ख) में सन्दर्भित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के परिणाम स्वरूप ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में दिनांक 14.09.2007 को तृतीय संशोधन के माध्यम से जोड़े गये नियम 8-क को प्रश्नगत नियमावली से निकाल दिया गया है। उक्त का आशय यह है कि सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता के अवधारण की कार्यवाही अब उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। इसका तात्पर्य यह है कि ज्येष्ठता अवधारण में परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।

(ग) यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त प्रस्तर-4(ग) में सन्दर्भित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयोन्नति प्रक्रिया (आठवाँ संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के परिणाम स्वरूप अब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं सामान्य वर्ग की पृथक-पृथक तैयार की जाने वाली पात्रता सूचियों के स्थान पर सभी वर्गों के कार्मिकों को सम्मिलित करते हुये एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुये पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी। ध्यातव्य है कि पदोन्नति में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों को आरक्षण की देयता समाप्त हो जाने के कारण पृथक पात्रता सूचियों के निर्माण की व्यवस्था अप्रासंगिक हो गयी है। अतः पृथक-पृथक पात्रता सूचियों के निर्माण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

(घ) इसी प्रकार उपर्युक्त प्रस्तर-4(घ) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयोन्नति पात्रता सूची (तृतीय संशोधन) नियमावली 2012 के प्रख्यापन का तात्पर्य यह है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति के अवसर पर प्रयुक्त होने वाली अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं सामान्य वर्ग की पृथक-पृथक तीन पात्रता सूचियों के स्थान पर सभी वर्गों के कार्मिकों को सम्मिलित करते हुये एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुये पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

(ङ) उपर्युक्त प्रस्तर-4 (ङ) में उल्लिखित पदोन्नति में आरक्षण तथा तत्सम्बन्धी रोस्टर को निरस्त करने विषयक शासनादेश संख्या-4/1/2002/ का-2/2012 दिनांक 08 मई, 2012 के निर्गमन का आशय यह है कि पदोन्नति के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने विषयक समस्त शासनादेश एवं पदोन्नति की प्रक्रिया विषयक निर्गत किये गये रोस्टर निरस्त कर दिये गये हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त शासनादेश के निर्गमन के परिणाम स्वरूप पदोन्नति के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से आरक्षण की देयता नहीं रह गयी है।

6. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सारांशतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

(क) पदोन्नति के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अब आरक्षण देय नहीं है।

(ख) जिन संवर्गों/पदों की ज्येष्ठता सूचियाँ, ज्येष्ठता नियमावली के नियम-8-क के आधार पर परिणामिक ज्येष्ठता देते हुये निर्गत की गई हो, उनमें से परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुये ज्येष्ठता नियमावली 1991 के प्राविधानानुसार उन्हें संशोधित/परिवर्धित कर लिया जाय।

(ग) पदोन्नति के अवसर पर पृथक-पृथक तीन पात्रता सूचियों के स्थान पर यथा ज्येष्ठता एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुये पदोन्नति की कार्यवाही की जाय।

(घ) पदोन्नति के प्रक्रम पर आरक्षण का लाभ प्रदान करने विषयक समस्त शासनादेश एवं रोस्टर भी निरस्त हो गये हैं।

7. कृपया उपरोक्त प्रक्रिया का विधिनुसार पालन करते हुये, इस शासनादेश में सन्दर्भित अध्यादेश, नियमावलियों एवं शासनादेश की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारम्भ करने का कष्ट करें। कृपया संलग्न अध्यादेश, नियमावलियों एवं शासनादेश की व्यवस्थाओं से अपने समस्त-अधीनस्थ अधिकारियों को भी अवगत करा दें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

ह0/-

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांक संख्या-4/1/2002 (1) टी0सी0-1-का-2/2012 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि वे अध्यादेश, शासनादेश एवं नियमावलियों की व्यवस्था से अपने समस्त अधीनस्थों को भी अवगत करा दें।

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
3. सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग उ0प्र0 शासन।
5. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

ह0/-

(एच0 एल0 गुप्ता)
विशेष सचिव